न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - राकेश गोयल, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(अतिरिक्त कार्यभार)

सेशन प्रकरण संख्या- 93/24
सी.आई.एस. नम्बर- 93/24

राजस्थान राज्य-

अभियोगी

बनाम

1. विवेक उर्फ फोसू पुत्र राजवीर निवासी ग्राम जसूपुरा थाना मनियां जिला धौलपुर

अभियुक्त

अपराध आरोप अंतर्गत धारा 498 ए, 304 बी भा.द.स.

उपस्थितः-
1. श्री मुकेश सिकरवार, विद्वान अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य
2. श्री इरशाद अहमद, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते अभियुक्त

<u>नि र्ण य</u> **<u>दिनाँक : 01.05.2026</u>**

1. हस्तगत प्रकरण श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के समक्ष कमिट होकर प्राप्त हुआ था, जो इस न्यायालय को विचारण हेतु श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धौलपुर के आदेशानुसार अंतरित होकर प्राप्त हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विचारण आरंभ किया गया ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 24.05.24 को परिवादी अजय ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना मनियां धौलपुर पर इस आशय की पेश की कि उसकी बहन ज्योति की शादी 02 मार्च 2024 को विवेक के साथ हुई थी । उसने अपनी बहन की शादी में ससुराल वालों को पांच लाख रूपये नकद, चार तोला सोना व सारा सामान दिया था । इसके बाद भी ज्योति के ससुराल वाले सास सोना, जेठानी रागिनी, ननद लक्ष्मी, जेठ गब्बर, पति विवेक उर्फ फोसू आये दिन मारपीट करते, गाली गलौंच करते, खाना नहीं देते और कहते कि तेरे घर वाले नंगे हैं उन्होंने हमको दिया ही क्या है तथा ज्योति से अपने घरवालों से पांच लाख रूपये लेकर आने पर ससुराल में रखने का

कहते । इस बात को लेकर दिनांक 23.05.24 को समय रात करीब 10 बजे ज्योति ने अपने मोबाइल से अपनी मां बेजो के लिये फोन करके बताया कि ये लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं और पांच लाख रूपये की मांग कर रहे हैं । दिनांक 24.05.24 को सुबह करीब 6 बजे किसी अज्ञात नंबर से फोन कर बताया कि ज्योति को उक्त लोगों ने मार दिया है और उक्त लोग घर छोडकर भाग गये हैं तथा उक्त घटना में लक्ष्मी का पति भोला भी साथ था, ...इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना मनियां, धौलपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 217/24 अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भा.द.स. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भा.द.स. में विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2 धौलपुर में पेश की गई, जिस पर उनके द्वारा उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से कमिट किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त को अपराध अन्र्तगत धारा 498ए, 304बी भा.द.स. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर अस्वीकार किये तथा अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप के समर्थन में गवाह पी.ड. 1 अजय, पी.ड. 2 शेरसिंह, पी.ड 3 नीरू, पी.ड. 4 नीरज, पी.ड. 5 इकलेश, पी.ड. 6 डॉ. रामकृष्ण, पी.ड. 7 विमला, पी.ड. 8 रोहित सिंह, पी.ड. 9 सावित्री, पी.ड. 10 राधेलाल, पी.ड. 11 चन्द्रभान, पी.ड. 12 वीरपाल, पी.ड. 13 जगदीश, पी.ड. 14 डॉ. राजेश कुमार, पी.ड. 15 डॉ. भूपेन्द्र सिंह, पी.ड. 16 देवेन्द्र सिंह, पी.ड. 17 विष्णु कुमार, पी.ड. 18 चन्द्रभान सिंह, पी.ड. 19 रनसिंह, पी.ड. 20 जयपाल, पी.ड. 21 जगदीश प्रसाद, पी.ड. 22 निवेन्द्र सिंह, पी.ड. 23 उमेश, पी.ड. 24 राजेश शर्मा को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 3, नक्शामौका प्रदर्श पी 4, पंचनामा प्रदर्श पी 5, रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 6, शादी का कार्ड प्रदर्श पी 7, पुलिस बयान शेरसिंह प्रदर्श पी 8, पुलिस बयान नीरू प्रदर्श पी 9, पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 10, पुलिस बयान विमला प्रदर्श पी 11, पुलिस बयान रोहित प्रदर्श पी 12, पुलिस बयान सावित्री प्रदर्श पी 13, पुलिस बयान राधेलाल प्रदर्श पी 14, पुलिस बयान चन्द्रभान प्रदर्श पी 15, पुलिस बयान वीरपाल प्रदर्श पी 16, पुलिस बयान जगदीश प्रदर्श पी 17, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 18, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 19, धारा 27 की इत्तला प्रदर्श पी 20, नक्शामौका घटनास्थल

प्रदर्श पी 21, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 22 ए दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये गये। अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह के दौरान पुलिस बयान इकलेश प्रदर्श डी 1 प्रदर्शित करवाया ।

6. अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये जिसमें उसने गवाहान के कथनों को गलत होना बताया और स्वयं के निर्दोष होने का कथन करते हुये साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, किन्तु साक्ष्य सफाई पेश नहीं की है ।

7. बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष स्वयं की साक्ष्य से अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है । अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करार दिया जावे।

8. जवाब में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है । अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों ने घटना की ताईद नहीं की है । अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करार दिया जावे।

9. पक्षकारान की ओर से की गई बहस के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि-

(1). क्या अभियुक्त ने मार्च 2024 में परिवादी अजय की बहन ज्योति जिसकी शादी अभियुक्त के साथ हुई थी, से शादी के पश्चात दहेज में पांच लाख रूपये की मांग की एवं उक्त दहेज की मांग की पूर्ति के लिये अभियुक्त ने ज्योति को तंग, परेशान किया एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया और दिनांक 24.05.24 को सुबह के वक्त किसी समय दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर दहेज की खातिर ज्योति की हत्या कारित की ?

(2). यदि हॉ तो मुलजिम किस दण्ड का पात्र है ?

10. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये हैं, जिसमें से गवाह पी.डब्ल्यू.01 अजय ने कथन किया है कि ज्योति मेरी बहिन थी। उसकी शादी विवेक उर्फ फोसू के साथ दिनांक 02 मार्च 2024 को हुयी थी। उसकी शादी के दहेज में 05 लाख केश, चार तोला सोना व पूरा सामान दिया था। ज्योति जब ससुराल से लौट कर

आयी तो उसने मुझे बताया कि मुझसे मेरे ससुरालवाले सास सोना, जेठानी रागिनी, ननद लक्ष्मी व जेठ गब्बर आदि सब 05 लाख रूपये दहेज की मांग करते थे। मेरी बहिन का विवेक के साथ झगडा हुआ और उसने कहा कि मैं 05 लाख रूपये नही दूंगी। विवेक ज्योति का पति था। मेरी बहिन ज्योति के साथ उसके ससुरालवाले गलत व्यवहार करते थे व मारपीट करते थे और उसको धमकाते थे और कहते थे कि तेरे घरवाले नंगे है और उससे 05 लाख रूपये की डिंमाड करते थे। दिनांक 23.05.2024 को रात 10 बजे मेरी बहिन ज्योति का मां बेजोदेवी के पास फोन आया कि यह लोग सास सोना, जेठानी रागिनी, ननद लक्ष्मी जेठ गब्बर और उसका पति विवेक उर्फ फोसू मुझसे रूपये मांग रहे है और मेरे साथ मारपीट कर रहे है और कह रहे हे कि रूपये न देने पर तुझे घर में नही रहने देंगे। अगले दिन दिनांक 24.05.2024 को सुबह किसी अज्ञात नम्बर से फोन आया कि तुम्हारी बहिन ज्योति को उसके ससुराल वालो ने खत्म कर दिया है। उक्त सूचना पर हम वहां पहुचें। उक्त घटना की रिपोर्ट मैंने थाना मनियां पर दी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है कार्यवाही पुलिस के नीचे मेरे हस्ताक्षर है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने अपनी कार्यवाही में फासंी देने वाली साड़ी की फॉल को जप्त किया। जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ऐ से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा बनाया था जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम करवाने के लिये भेज दिया था। वहां पर पुलिस ने कार्यवाही की थी उस पर मेरे हस्ताक्षर कराए थे। पंचनामा पुलिस प्रदर्श पी 05 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मृतिका ज्योति की लाश मुझे सुपुर्द की थी जिसकी रशीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 06 है जिस पर ऐ से बी मेरे हस्ताक्षर है। मैने उसकी शादी का कार्ड पुलिस को दिया था जो प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में कहा है कि मेरी बहिन ज्योति का विवाह विवेक उर्फ फोसू के साथ बिना किसी मांग जॉच के राजीखुशी सम्पन्न हुआ था। विवाह में विवेक उर्फ फोसू अथवा उसके परिवारीजन द्वारा कोई मांग नहीं रखी गयी। यह कहना सही है कि मेरी मां बैजोदेवी ने बहिन ज्योति को बहला फुसलाकर उससे 5 लाख रूपये हडप लिये। यह कहना सही है कि मेरी बहिन ज्योति ने विवेक उर्फ फोसू अथवा अपने किसी भी ससुरालीजन के दहेज मांगने बाबत अथवा दहेज के लिए उसे तंग परेशान या प्रताडित किये जाने बाबत कोई शिकायत नहीं की। मेरे सामने विवेक उर्फ फोसू व उसके किसी परिजन ने कभी कोई दहेज आदि की मांग नहीं की। मेरी बहिन को तंग परेशान किये जाने वाली बात मैने किसी व्यक्ति से सुनी थी, लेकिन उसका नाम मैं आज नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मेरी बहिन जब भी मुझसे मिलती तब

बताती कि मां ने रूपये हडप कर अच्छा नहीं किया। इसी बात से मेरी बहिन परेशान रहती थी। पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग मैने पुलिस को बयान नहीं दिया। रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 का सी से डी भाग रिपोर्ट लिखने वाले ने मुझे पढकर नहीं सुनाई थी। अजखुद कहा मै तो गम में था। मैने तो केवल हस्ताक्षर कर दिये थे।

11. पी.डब्ल्यू.02 शेरसिंह ने कथन किया है कि मैं ज्योति को जानता हूं, जो रिश्ते में मेरे मामा की लड़की थी, जिसकी शादी आज से करीब साल भर पहले विवेक निवासी जसुपुरा के साथ हुई थी। शादी में किसी प्रकार के दान दहेज की मांग नहीं की थी । करीब 6-7 महिने पहले ज्योति का देहांत हो गया। उस दिन विवेक उर्फ फोसू घर पर नहीं था । मैं अपने घर के पास था, तब मेरे पास फोन आया था कि ज्योति खत्म हो गयी है, तो मैंने अपने घर पर फोन करके बता दिया। फिर हम ज्योति के दाह संस्कार में गये, ज्योति का दाह संस्कार विवेक उर्फ फोसू ने किया था। अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं दिया जाना कहा है । शादी के बाद से विवेक द्वारा ज्योति से पांच लाख रूपये की मांग करने, दिनांक 24.05.24 को विवेक के द्वारा दहेज की मांग किया जाना और मांग पूर्ति नहीं होने पर ज्योति की हत्या कर देने के तथ्य को गलत होना बताया है ।

12. पी.डब्ल्यू.03 नीरू ने कथन किया है कि मैं ज्योति को जानती हूं, जो मेरी मामी सास की लड़की थी, जो मेरी ननद लगती थी, जिसकी शादी लगभग 15-16 महिने पहले विवेक उर्फ फोसू के साथ हुई थी। लगभग आज से एक साल पहले मेरे पति ने मुझे फोन करके बताया कि ज्योति खत्म हो गयी है। ज्योति कैसे मरी, उसकी जानकारी में नहीं है । अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 9 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं दिया जाना कहा है । शादी के बाद से विवेक द्वारा ज्योति से दहेज में रूपये की मांग करने, दिनांक 24.05.24 को विवेक के द्वारा दहेज की मांग किया जाना और मांग पूर्ति नहीं होने पर ज्योति की हत्या कर देने के तथ्य को गलत होना बताया है ।

13. पी.डब्ल्यू.04 नीरज सिंह ने कथन किया है कि दिनांक 24.05.2024 को मृतिका ज्योति का फर्द पंचनामा बनाया गया था जो प्रदर्श पी 05 है। जिस पर मेरे सी से डी दो जगह हस्ताक्षर है।

14. पी.डब्ल्यू.05 इकलेश ने कथन किया है कि विवेक हमारा पडोसी है। आज से करीब एक साल पहले की घटना है, हम सब घर पर सो रहे थे। विवेक की शादी हुई थी, उसकी सगाई अच्छे से की गयी थी। ज्योति ने एक साल पहले फांसी लगा ली थी। ज्योति विवेक की पत्नी थी। ज्योति का भाई घटना के समय वहां मोजूद था। ज्योति ने फांसी क्यो लगाई मेरी जानकारी में नहीं है। ज्योति के फांसी लगाने के बाद पुलिस आयी थी। पुलिस ने मेरे सामने लिखा-पढी की थी।

15. पी.डब्ल्यू.06 डॉ. रामकृष्ण ने कथन किया है कि दिनांक 24.05.2024 को मैं चिकित्साधिकारी मनियां के पद पर कार्यरत था। उक्त दिवस पर एसएचओ मनियां की तहरीर पर मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराने की तहरीर प्राप्त हुई, जिसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ। जिसमें मैं, डॉ राजेश कुमार व डॉ भूपेन्द्र सिंह ने मिलकर ज्योति पत्नी विवेक उर्फ फौसू जाति ठाकुर उम्र 20 साल निवासी गांव जसुपुरा थाना मनियां जिला धौलपुर का पोस्टमार्टम किया गया था, जिसकी रिपोर्ट निम्नानुसार है- महिला के शरीर पर अकड़न पायी गयी, एवं आंखो की पुतलिया स्थिर एवं फूली हुई पायी गयी। ज्योति के शरीर को देखने पर उसकी गर्दन पर 2.5 सेमी चैड़ाई का एक लाइगेचर मार्क एन्टीरियर साईड थाइरॉइड कार्टिलेज के नीचे से होते हुए पीछे की तरफ आब्लिकली गर्दन के दोनो साईड पाया गया। ज्योति के गर्दन की पीछे की तरफ डिस्कन्टीन्यू पाया गया था। लाईगेचर मार्क का डिसेक्शन करने पर लाईगेचर मार्क की स्किन वाइट व चमकीली एवं कुछ खून के स्पोट पाये गये, एवं हायोड बोन का अस्थि भंग पाया गया। ज्योति पर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेंगूलेशन के निशान नहीं मिले। लाइगेचर मार्क की प्रकृति एन्टीमॉर्टम थी। बच्चेदानी के डिसेक्शन पर बच्चेदानी पूर्णतया खाली मिली। बोर्ड की राय के अनुसार ज्योति की मृत्यु दम घुटने की वजह से हुई है जिसका कारण हैंगिंग पाया गया। फिर भी ज्योति के विसरा को एफएसएल हेतु प्रिजर्व किया गया, एवं एफएसएल भरतपुर के लिए पुलिस मनियां को सुपुर्द किया गया। पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है, तथा सी से डी बोर्ड की राय अंकित है, ई से एफ डॉ भूपेन्द्र के हस्ताक्षर है तथा जी से एच डॉ राजेश के हस्ताक्षर है। जिरह में कहा है कि यह सही है कि ज्योति के शरीर पर किसी प्रकार के स्ट्रेंगूलेशन व संघर्ष के निशान नहीं थे । शरीर पर अन्य किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं थे ।

16. पी.डब्ल्यू.07 विमला ने कथन किया है कि विवेक उर्फ फौसू मेरा पड़ोसी है, उसकी शादी ज्योति से करीब साल भर पहले हुई थी। मैं ज्योति को

जानती हूं। ज्योति को विवेक उर्फ फोसू अच्छे से रखता था । ज्योति से किसी प्रकार की दान दहेज की मांग नहीं करता था और न ही परेशान व मारपीट करता था । करीब 8-9 बजे घर के बाहर हल्ला हो रहा था तो मेरे सुनने में आया कि ज्योति ने फांसी लगा ली है। विवेक उर्फ फौसू रात से ही घर नहीं था। ज्योति घर पर अकेली थी। ज्योति की मृत्यु की सूचना सुनकर विवेक घर पर आया था। ज्योति की फांसी लगाने वाली बात हमे विवेक के घर के बाहर हल्ला मचा तब पता लगी थी। अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 11 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं दिया जाना कहा है ।

17. पी.डब्ल्यू.08 रोहित सिंह ने कथन किया है कि मैंने डीएलएड की हुई है। मै सन् 2024 में टीचर की तैयारी कर रहा था। ज्योति मेरी ममेरी बहिन थी, जिसकी शादी विवेक उर्फ फोसू के साथ हुई थी। दिनांक 23.05.2024 को मैं अपने मामा लालसिंह परमार निवासी पिपरैट थाना आंगई जिला धौलपुर के यहां आम का अचार लेने विवेक उर्फ फोसू के साथ गया था। वहां पर सुबह दिनांक 24.05.24 को फोन आया कि विवेक की पत्नी ज्योति ने फांसी लगा ली है। विवेक उर्फ फोसू के द्वारा ज्योति से दहेज की मांग करना, परेशान करने के तथ्य को गलत होना बताया है । अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 12 का ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच भाग पुलिस को नहीं दिया जाना कहा है। यह सही है कि विवेक उर्फ फोसू ने ज्योति को दहेज के लिये अथवा किन्हीं भी पांच लाख रूपये के लिये कभी भी तंग परेशान नहीं किया ।

18. पी.ड. 9 सावित्री पक्षद्रोही रही है जिसने विवेक द्वारा ज्योति को अच्छे से रखना, कभी भी दहेज के लिये परेशान नहीं करना कहा है । जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी 13 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं दिया जाना कहा है ।

19. पी.डब्ल्यू.10 राधेलाल ने कथन किया है कि मैं पढा लिखा नहीं हूं। मैं विवेक को जानता हूं। मेरे मकान के बगल में उसका मकान है। राजवीर विवेक के पिता का नाम है। विवेक की पत्नी ज्योति खत्म हुई थी, उससे दो तीन महीने पहले शादी हुई थी। विवेक बाहर काम करता था। मैं विवेक की शादी में गया था। उसके सामने कोई दहेज की बात नहीं हुई । ज्योति के 5 लाख रूपये उसकी मां ने हडप लिये इस वजह से ज्योति खत्म हो गयी। अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान

प्रदर्श पी 14 का ए से बी, सी से डी भाग पुलिस को नहीं दिया जाना कहा है । जिस दिन ज्योति मरी, उस दिन विवेक घर पर नहीं था, किसी रिश्तेदारी में गया था । विवेक ज्योति को प्रेम से रखता था और विवेक ने ज्योति को कभी भी दहेज के लिये परेशान नहीं किया ।

20. पी.डब्ल्यू.11 चन्द्रभान ने कथन किया है कि मैं पढा लिखा नहीं हूं। मैं विवेक को जानता हूं। मेरे मकान के बगल में उसका मकान है। राजवीर विवेक के पिता का नाम है। विवेक की पत्नी ज्योति खत्म हुई थी, उससे दो तीन महीने पहले शादी हुई थी। विवेक बाहर काम करता था। मैं विवेक की शादी में गया था। मेरे सामने कोई दहेज की बात नहीं हुई थी । ज्योति के 5 लाख रूपये उसकी मां ने हडप लिये इस वजह से ज्योति खत्म हो गयी। अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 15 का ए से बी, सी से डी भाग पुलिस को नहीं दिया जाना कहा है । जिस दिन ज्योति मरी, उस दिन विवेक घर पर नहीं था, किसी रिश्तेदारी में गया था । विवेक ज्योति को प्रेम से रखता था और विवेक ने ज्योति को कभी भी दहेज के लिये परेशान नहीं किया ।

21. पी.डब्ल्यू.12 वीरपाल ने कथन किया है कि मैं पढा लिखा नहीं हूं। मैं विवेक को जानता हूं। मेरे मकान के बगल में उसका मकान है। राजवीर विवेक के पिता का नाम है। विवेक की पत्नी ज्योति खत्म हुई थी, उससे दो तीन महीने पहले शादी हुई थी। विवेक बाहर काम करता था। मैं विवेक की शादी में गया था। मेरे सामने कोई दहेज की बात नहीं हुई थी । ज्योति के 5 लाख रूपये उसकी मां ने हडप लिये इस वजह से ज्योति खत्म हो गयी। अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 16 का ए से बी, सी से डी भाग पुलिस को नहीं दिया जाना कहा है । जिस दिन ज्योति मरी, उस दिन विवेक घर पर नहीं था, किसी रिश्तेदारी में गया था । विवेक ज्योति को प्रेम से रखता था और विवेक ने ज्योति को कभी भी दहेज के लिये परेशान नहीं किया ।

22. पी.डब्ल्यू.13 जगदीश ने कथन किया है कि मैं सातवी तक पढ़ा हुआ हूं। मैं सूरत में हलवाई का काम करता हूं। मेरे सामने कोई घटना घटित नहीं हुई। विवेक की शादी ज्योति से हुई थी। विवेक की शादी में उनके ससुराल वालों ने 05 लाख रूपए दिए थे। पुलिस वालो को मैंने विवेक को शादी में सोना देना बताया था। विवेक की शादी मे दहेज का पूरा सामान सोफा, अलमारी सारा

सामान दिया गया था। मै शादी में शामिल हुआ था। शादी के बाद ज्योति विवेक के साथ 10-15 दिन बाद घर आ गई थे। उसके बाद मैं गुजरात चला गया था। उसके बाद क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम । लड़की मर चुकी है। लड़की के दाग लगने के बाद मैं गुजरात से यहां आया था। मैं जब सूरत से वापस आया तो लोगों ने मुझे बताया कि ज्योति के साथ विवेक के घरवालों ने मारपीट की है। अज खुद कहा कि विवेक घर पर नहीं था। विवेक ने कोई मारपीट नहीं की । अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 17 का अधिकांश भाग पुलिस को नहीं दिया जाना कहा है । शादी का बिना किसी मांग जांच के सम्पन्न होना, शादी में सामान स्वेच्छा से राजीखुशी दिया जाना कहा है । शादी से पहले व शादी के बाद विवेक के द्वारा ज्योति को किसी भी प्रकार के कोई झगडे अथवा दहेज बाबत किसी राशि की मांग बाबत तंग परेशान अथवा प्रताडित किये जाने बाबत उसके द्वारा नहीं सुना जाना और न ही पुलिस को बताना कहा है ।

23. पी.डब्ल्यू.14 डॉ. राजेश कुमार ने कथन किया है कि मैं दिनांक 24.05.2024 को मनियां सीएचसी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन थाना मनियां पुलिस के द्वारा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करने के लिए तहरीर प्राप्त हुई थी। जिसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। जिसमें मैं और डॉ. रामकृष्ण यादव, डॉ भूपेन्द्र सिंह शामिल थे। हमारे द्वारा मृतिका ज्योति पत्नी विवेक उर्फ फोसू निवासी जसुपुरा थाना मनिंया धौलपुर का पोस्टमार्टम किया गया था जो निम्नानुसार हैः- महिला के शरीर पर अकड़न पायी गयी, एवं आंखो की पुतलिया स्थिर एवं फूली हुई पायी गयी। ज्योति के शरीर को देखने पर उसकी गर्दन पर 2.5 सेमी चैड़ाई का एक लाइगेचर मार्क एन्टीरियर साईड थाइरॉइड कार्टिलेज के नीचे से होते हुए पीछे की तरफ आब्लिकली गर्दन के दोनो साईड पाया गया। ज्योति के गर्दन की पीछे की तरफ डिस्कन्टीन्यू पाया गया था। लाईगेचर मार्क का डिसेक्शन करने पर लाईगेचर मार्क की स्किन वाइट व चमकीली एवं कुछ खून के स्पोट पाये गये, एवं हायोड बोन का अस्थि भंग पाया गया। ज्योति पर किसी प्रकार का कोई स्टे्रंगूलेशन के निशान नहीं मिले। लाइगेचर मार्क की प्रकृति एन्टीमॉर्टम थी। बच्चेदानी के डिसेक्शन पर बच्चेदानी पूर्णतया खाली मिली। बोर्ड की राय के अनुसार ज्योति की मृत्यु दम घुटने की वजह से हुई है जिसका कारण हैंगिंग पाया गया। फिर भी ज्योति के विसरा को एफएसएल हेतु प्रिजर्व किया गया, एवं एफएसएल भरतपुर के लिए पुलिस मनियां को सुपुर्द किया गया। पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 है जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है, तथा सी से डी बोर्ड की राय अंकित है, ई से एफ डॉ भूपेन्द्र के

हस्ताक्षर है तथा ए से बी डॉ. रामकृष्ण के हस्ताक्षर है। जिरह में कहा है कि ज्योति के शरीर पर किसी प्रकार के संघर्ष के निशान नहीं थे और न ही शरीर पर अन्य किसी प्रकार की चोट के निशान थे ।

24. पी.डब्ल्यू.15 डॉ. भूपेन्द्र सिंह ने कथन किया है कि मैं दिनांक 24.05.2024 को मनियां सीएचसी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन थाना मनियां पुलिस के द्वारा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करने के लिए तहरीर प्राप्त हुई थी। जिसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। जिसमें मैं और डॉ. रामकृष्ण यादव, डॉ राजेश कुमार शामिल थे। हमारे द्वारा मृतिका ज्योति पत्नी विवेक उर्फ फोसू निवासी जसुपुरा थाना मनिंया धौलपुर का पोस्टमार्टम किया गया था जो निम्नानुसार हैः- महिला के शरीर पर अकड़न पायी गयी, एवं आंखो की पुतलिया स्थिर एवं फूली हुई पायी गयी। ज्योति के शरीर को देखने पर उसकी गर्दन पर 2.5 सेमी चैड़ाई का एक लाइगेचर मार्क एन्टीरियर साईड थाइरॉइड कार्टिलेज के नीचे से होते हुए पीछे की तरफ आब्लिकली गर्दन के दोनो साईड पाया गया। ज्योति के गर्दन की पीछे की तरफ डिस्कन्टीन्यू पाया गया था। लाईगेचर मार्क का डिसेक्शन करने पर लाईगेचर मार्क की स्किन वाइट व चमकीली एवं कुछ खून के स्पोट पाये गये, एवं हायोड बोन का अस्थि भंग पाया गया। ज्योति पर किसी प्रकार का कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले। लाइगेचर मार्क की प्रकृति एन्टीमॉर्टम थी। बच्चेदानी के डिसेक्शन पर बच्चेदानी पूर्णतया खाली मिली। बोर्ड की राय के अनुसार ज्योति की मृत्यु दम घुटने की वजह से हुई है जिसका कारण हैंगिंग पाया गया। फिर भी ज्योति के विसरा को एफएसएल हेतु प्रिजर्व किया गया, एवं एफएसएल भरतपुर के लिए पुलिस मनियां को सुपुर्द किया गया। पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है, तथा सी से डी बोर्ड की राय अंकित है, जी से एच डॉ. राजेश कुमार के हस्ताक्षर है तथा ए से बी डॉ. रामकृष्ण के हस्ताक्षर है। जिरह में कहा है कि ज्योति के शरीर पर किसी प्रकार के संघर्ष के निशान नहीं थे और न ही शरीर पर अन्य किसी प्रकार की चोट के निशान थे ।

25. पी.डब्ल्यू.16 देवेन्द्र सिंह ने कथन किया है कि मैं दिनांक 28.05.2024 को सीओ कार्यालय मनिंया पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नं. 217/24 थाना मनियां में मृतका श्रीमती ज्योति पत्नी विवेक उर्फ फोसू दौराने पोस्टमार्टम लिए गए बिसरा की शील्डशुदा दो कांच की बोतलों को जगदीश कानि. सीएचसी मनियां से लाकर मेरे समक्ष आईओ राजेश कुमार शर्मा को सुपुर्द की। आईओ द्वारा दोनों शील्डशुदा कांच की बोतलों को क्रमशः

मार्क बी और सी अंकित किया गया। फर्द जप्ती शील्डशुदा कांच की बोतले प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। इसी मुकदमें में दिनांक 05.06.2024 को मुल्जिम विवेक उर्फ फोसू पुत्र राजवीर, निवासी ग्राम जसुपुरा थाना मनियां को मेरे व रनसिंह के समक्ष आईओ द्वारा सीओ कार्यालय में गिरफ्तार किया गया। जिसकी जामा तलाशी मेरे द्वारा ली गई। फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम विवेक उर्फ फोसू प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी मेरे व सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर मुल्जिम का फोटो चस्पा है। अभियुक्त ने दफा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत इत्तला दी थी जो प्रदर्श पी 20 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। अभियुक्त विवेक उर्फ फोसू ने मेरी मौजूदगी में नक्शा मौका घटना स्थल तस्दीक कराया था जो प्रदर्श पी 21 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

26. पी.डब्ल्यू.17 विष्णु कुमार ने कथन किया है कि मैं दिनांक 19.06.2024 को थाना मनियां पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नं. 217/24 में एफएसएल के लिए माल ले जाने बाबत् अग्रेषण पत्र मालखाना एचएम के द्वारा प्राप्त हुआ था। जिसमें दो शीलशुदा जार जिनको मैं एफएसएल भरतपुर ले जाने के लिए थाने से रवाना हुआ था। जहां मैंने भरतपुर एफएसएल को माल जमा करवाया और माल जमा कराने की रिसीट प्राप्त की। एफएसएल रिसीट शामिल पत्रावली है।

27. पी.डब्ल्यू.18 चन्द्रभान सिंह ने कथन किया है कि मैं दिनांक 24.05.2024 को मालखाना इंचार्ज के पद पर थाना मनियां पर पदस्थापित था। उस रोज श्रीमान राजेश शर्मा वृताधिकारी वृत मनियां ने मुकदमा नं. 217/24 में एक पैकेट शील्डशुदा मार्क ए जिसमें एक साड़ी की फॉल है तथा दिनांक 28.05.24 को एक शील्डशुदा जार मार्क बी व मार्क सी जमा कराए थे। जिनको मैंने मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 1148/101/24 पर मेरे द्वारा इन्द्राज किया गया था। उक्त माल को मालखाना में जमा कराया था। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 22 है। मूल मालखाना रजिस्टर की प्रतिलिपि प्रदर्श पी 22 ए है जो संलग्न पत्रावली है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

28. पी.डब्ल्यू.19 रनसिंह ने कथन किया है कि दिनांक 05.06.24 को वह फोसू को गिरफ्तारी हेतु सीओ कार्यालय मनियां लेकर गया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 19 पर उसके हस्ताक्षर है। फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 20 पर उसके हस्ताक्षर है। अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही

घोषित करने पर जिरह में गवाह ने विवेक उर्फ फोसू द्वारा उसके सामने पुलिस को उसकी पत्नी ज्योति ने जहां आत्महत्या की, उस स्थान को चलकर बता सकने बाबत कोई इत्तला नहीं दिया जाना कहा है तथा उसके समक्ष कार्यवाही नहीं किया जाना और उसके कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराना कहा है ।

29. पी.डब्ल्यू.20 जयपाल ने कथन किया है कि उसे नहीं पता कब की बात है, मेरी जानकारी में नहीं है । पुलिस ने उसके सामने कोई जब्ती नहीं बनाई। अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने पर जिरह में गवाह ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी 03 तथा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 एवं फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 05 पर उसके हस्ताक्षर होना कहा है । पुलिस द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही नहीं किया जाना, उसके कोरे कागजों पर साइन कराना कहा है ।

30. पी.डब्ल्यू.21 जगदीश प्रसाद ने कथन किया है कि दिनांक 28.05.2024 को मैं सीओ कार्यालय मनियां में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नं 217/24 थाना मनियां के प्रकरण में सीएचसी मनियां से दो सीलशुदा कांच की बोतल जिसमें मृतका ज्योति पत्नी विवेक उर्फ फोसू पोस्टमार्टम रिपोर्ट संबंधी विसरा/आर्टिकल सैम्पल था जिसे मैने लाकर सीओ कार्यालय मनिया में सुपुर्द किया। जिसकी फर्द जप्ती सीओ साहब ने मेरे व कानि देवेन्द्र के सामने बनाई थी जिस पर मार्क ए व बी अंकित किया फर्द जप्ती प्रदर्श पी 18 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। दिनांक 05.06.2025 को मेरे व कानि देवेन्द्र के सामने घटनास्थल का तस्दीकी नक्शा मौका आईओ राजेश कुमार सीओ साहब ने कशीद किया था जो प्रदर्श पी 21 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं।

31. पी.डब्ल्यू.22 निवेन्द्र सिंह ने कथन किया है कि दिनांक 24.05.2024 को मृतका ज्योति की लाश का फर्द पंचनामा बनाया गया था जो प्रदर्श पी 05 है। जिस पर मेरे जी से एच दो जगह हस्ताक्षर है।

32. पी.डब्ल्यू.23 उमेश ने कथन किया है कि ज्योति मेरी बहन थी उसने सुसाइड कर ली थी तब मै करौली था। उक्त घटना कब की है मुझे याद नही है। मै मनिया थाने पर आ गया था वहॉं पर पंचनामा वगै0 पर मेरे हस्ताक्षर कराए थे। पुलिस द्वारा फर्द जब्ती प्रदर्श पी 03 बनाई गई थी जिस पर इ से एफ मेरे हस्ताक्षर है। घटना स्थल का नक्शामौका मेरे सामने नही बनाया गया था

नक्शामौका प्रदर्श पी 04 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 05 है जिस पर आई से जे मेरे हस्ताक्षर है।

33. पी.डब्ल्यू.24 राजेश शर्मा ने कथन किया है कि दिनांक 24.05.2024 को मैं सी ओ मनिया के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 217/24 धारा अंतर्गत 304 बी, 498 का अनुसंधान मन वृत्ताधिकारी को प्राप्त हुआ, जिसकी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है, जो शामिल पत्रावली है। बाद अनुसंधान मृतका ज्योति का फर्द पंचायतनामा मूर्तिब किया जाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। बाद पोस्टमार्टम मृतका की लाश को परिजनों को सुपुर्द किया गया। मन आई ओ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शामौका तैयार किया गया। घटनास्थल का फोरेंसिक यूनिट से फोटोग्राफी व निरीक्षण करवाया गया। नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी 4 है, जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। हालात नक्शामौका पर दो जगह मेरे जी से एच हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान एक साडी की फौल को जब्त किया जाकर फर्द जब्ती बनायी गयी जो प्रदर्श पी 3 है, जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर हैं। सी से डी व ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर हैं। मृतका की पीएमआर जो प्रदर्श पी 10 है, जिसे हॉस्पीटल से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। दौराने अनुसंधान बयान श्रीमती सावित्री, इकलेश कुमारी, जगदीश , रोहित सिंह, राधे, चंद्रभान, विमला, वीरपाल, अजय, बैजोदेवी, लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। मैडीकल बोर्ड द्वारा लिये गये विसरा सैंपल को जरिये फर्द जब्त किया गया, जो प्रदर्श पी 18 है, जिस पर ई से एफ मेरे, ए से बी व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर हैं। सैंपल को जांच हेतु एफएसएल भिजवाये गये। एफएसएल यूनिट द्वारा घटनास्थल निरीक्षण की रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। बाद अनुसंधान आरोपी विवेक उर्फ फोसू पुत्र राजवीर को जरिये फर्द अंतर्गत धारा 498 ए, 304 बी में गिरफतार किया गया। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 19 है, जिस पर जी से एच मेरे, ए से बी व ई से एफ गवाहान के सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चस्पा है। गिरफतार अभियुक्त विवेक द्वारा दी गयी धारा 27 की इत्तला प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ई से एफ मेरे, ए से बी व सी से डी गवाहान के व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त द्वारा दी गयी धारा 27 की इत्तला के अनुसरण में घटनास्थल का नक्शा मौका तस्दीक किया जाकर फर्द नक्शा मौका तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी 21 है, जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं। ए से बी व सी से डी गवाहान के तथा जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। बाद अनुसंधान अभियुक्त विवेक उर्फ फोसू अपराध धारा 498 ए, 304 बी में प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली चालानी आदेशार्थ श्रीमान

जिला पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की गयी। श्रीमान एसपी साहब के कार्यालय से चालानी आदेश प्राप्त कर थानाधिकारी थाना मनिया श्री नरेश शर्मा द्वारा माननीय न्यायालय में चार्जशीट पेश की गयी, जिस पर ए से बी थानाधिकारी नरेश शर्मा के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर अधीनस्थ होने के कारण मैं पहचानता हूं।

34. पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतका का विवाह विवेक उर्फ फोसू के साथ हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था और उसकी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई । लेकिन वैवाहिक क्रूरता व दहेज हत्या होने के संबंध में हमें यह देखना है कि क्या उसकी मृत्यु से पूर्व मृतका को दहेज के लिये तंग व परेशान किया गया और दहेज की खातिर उसकी हत्या कर दी गई । इस संबंध में इस प्रकरण के फरियादी पी.ड. 1 अजय ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि मेरी बहिन ज्योति का विवाह विवेक उर्फ फोसू के साथ बिना किसी मांग जॉच के राजीखुशी सम्पन्न हुआ था। विवाह में विवेक उर्फ फोसू अथवा उसके परिवारीजन द्वारा कोई मांग नहीं रखी गयी। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी और मेरी मां हम लोगों के साथ नहीं रहती थी। हमारी अनाथ जैसी अवस्था देखकर विवाह बिना किसी मांग जांच के हुआ था। यह सही है कि मेरी मां बैजोदेवी व एक अन्य व्यक्ति भूरा उर्फ रामसागर के विरूद्ध मेरे पिता की हत्या का मुकदमा जरिये एफआईआर नं 135/14 थाना सैया अन्तर्गत धारा 302 आईपीसी जिला एवं सेशन जज आगरा उ.प्र. के समक्ष लंबित है। मेरे पिता की हत्या 2014 में हुई थी। मेरे पिता की हत्या बाबत मेरी माता को गिरफ्तार कर लिया गया था। हम लोग अपने ताउ व ताई के पास रहे। तब से मेरी व मेरी बहिन ज्योति का मेरी मां बैजोदेवी से कोई सरोकार नहीं रहा। मेरी मां आज भी भूरा उर्फ रामसागर के साथ रह रही है। मेरे पिता की मृत्यु के समय 10 लाख रूपये उनके खाते मे थे। बालिग होने के बाद में वह रकम मुझे व ज्योति को आधी आधी मिल गयी। यह कहना सही है कि मेरी मां बैजोदेवी ने बहिन ज्योति को बहला फुसलाकर उससे 5 लाख रूपये हडप लिये। यह कहना सही है कि मेरी बहिन ज्योति ने विवेक उर्फ फोसू अथवा अपने किसी भी ससुरालीजन के दहेज मांगने बाबत अथवा दहेज के लिए उसे तंग परेशान या प्रताडित किये जाने बाबत कोई शिकायत नहीं की। मेरे सामने विवेक उर्फ फोसू व उसके किसी परिजन ने कभी कोई दहेज आदि की मांग नहीं की। मेरी बहिन को तंग परेशान किये जाने वाली बात मैने किसी व्यक्ति से सुनी थी, लेकिन उसका नाम मैं आज नहीं बता सकता। दिनांक 23.05.2024 को मेरी बहिन ज्योति का मेरी मां बैजोदेवी के पास फोन आने वाली बात मेरी मां बैजोदेवी ने मुझे नहीं बताई थी। मेरी मां बैजोदेवी व मेरी

बहिन की आपस में कभी बातचीत नहीं होती थी। न ही मेरी बहिन ज्योति के पास मेरी मां बैजोदेवी का फोन नंबर था। यह कहना सही है कि मेरी बहिन या मां बैजोदेवी का कोई फोन नंबर तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में नहीं लिखवाया है। यह कहना सही है कि मेरी बहिन जब भी मुझसे मिलती तब बताती कि मां ने रूपये हडप कर अच्छा नहीं किया। इसी बात से मेरी बहिन परेशान रहती थी। यह कहना सही है कि शादी में जो भी सामान दिया गया था, स्वेच्छा से रिश्तेदारों द्वारा की गयी मदद के अनुसार दिया गया था। यह मुझे पता है कि जब मेरी बहिन की मृत्यु हुई तब विवेक उर्फ फोसू ज्योति के घर नहीं था। मेरी बुआ के लडके रोहित के साथ गांव जसूपुरा में था। यह कहना सही है कि हो सकता है कि मेरी बहिन ने मेरी मां बैजोदेवी के रूपये हडपने की बात को लेकर क्षुब्ध होकर फांसी खा ली हो। इस मामले में पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया, न ही कोई पूछताछ की। पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग मैने पुलिस को बयान नहीं दिया। रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 का सी से डी भाग रिपोर्ट लिखने वाले ने मुझे पढकर नहीं सुनाई थी। अजखुद कहा मै तो गम में था। मैने तो केवल हस्ताक्षर कर दिये थे। पुलिस ने नक्शा किससे पूछकर बनाया, मुझे नहीं पता। नक्शा बनाने के बाद पुलिस ने मुझसे हस्ताक्षर कराये थे। यह कहना सही है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से पहले ही पंचनामा व नक्शामौका बना लिये थे। यह कहना गलत है कि बिना किसी आधार के विवेक उर्फ फोसू को इस प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया हो। इस प्रकार स्वयं फरियादी की साक्ष्य से ही अभियुक्त विवेक उर्फ फोसू के द्वारा उसकी बहन से दहेज मांगना व दहेज की खातिर उसे तंग व परेशान किये जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है । अन्य जो गवाहान अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये हैं उनमें पी.ड. 2 शेरसिंह, पी.ड. 3 नीरू, पी.ड. 7 विमला, पी.ड. 8 रोहित सिंह, पी.ड. 9 सावित्री, पी.ड. 10 राधेलाल, पी.ड. 11 चन्द्रभान, पी.ड. 12 वीरपाल, पी.ड. 13 जगदीश, पी.ड. 19 रनसिंह, पी.ड. 20 जयपाल सभी महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही घोषित हुये हैं जिन्होंने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है । सभी गवाहों ने कहा है कि दहेज की कोई मांग विवेक उर्फ फोसू के द्वारा कभी नहीं की गई और न ही घटना के समय विवेक उर्फ फोसू मौके पर मौजूद था । इस प्रकार अभियोजन पक्ष के द्वारा परीक्षित कराये गये गवाहों की साक्ष्य से व दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि मृत्यु से पूर्व मृतका को दहेज की मांग के लिये तंग व परेशान किया गया जिससे तंग होकर उसने आत्महत्या की या उसकी हत्या कर दी गई और शादी के समय तथा शादी के बाद उससे दहेज की मांग को लेकर कोई क्रूरता कारित की गई हो, यह भी अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है । जबकि अभियोजन पक्ष का यह दायित्व होता है कि वह

अपने मामले को पूर्ण रूप से संदेह से परे प्रमाणित करे। यदि अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो उसका लाभ सदैव अभियुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होता है । अतः अभियोजन पक्ष अपने मामले को अभियुक्त के विरूद्ध साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है जिस कारण अभियुक्त धारा 498 ए, 304 बी आईपीसी के आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

35. अतः अभियुक्त विवेक उर्फ फोसू पुत्र राजवीर निवासी ग्राम जसूपुरा थाना मनियां जिला धौलपुर को अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 304 बी भा.द.सं. के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्ते किये जाते हैं। अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने बाबत धारा 437 ए सीआरपीसी के छः माह की अवधि के लिये 25000/-रुपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे।

(राकेश गोयल)
(अतिरिक्त कार्यभार)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज.)

36. निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(राकेश गोयल)
(अतिरिक्त कार्यभार)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज.)